न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 17/2023

श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री राधाकिशन जी, जाति राजपूत, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 34 बी, शिव कॉलोनी, नृसिंहपुरा, ब्यावर हाल प्लॉट नं0 4, ग्राम नौसर अलखनन्दा कॉलोनी, रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती टीना पत्नि श्री विक्रम सिंह पुत्री श्री निर्मल सिंह राठौड, जाति राजपूत निवासी प्लॉट नं0 ग्राम, अलखनन्दा कॉलोनी, रातीडांग तहसील व जिला अजमेर
2. विक्रम सिंह पुत्र श्री जेठू सिंह, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नं0 4, ग्राम नौसर, अलखनन्दा कॉलोनी, रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर (राज) हाल–
3. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 10.05..2023 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 21.07.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 10.05.2023, जिसमें "प्रार्थीगण (अपीलान्ट) अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) को प्रार्थिया राजकीय सेवा से सेवानिवृत है एवं वर्तमान में राज्य सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर रही है जिसके कारण प्रार्थिया को निर्वाह भत्ता दिलाया जाना अधिनियम के तहत संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है जिससे असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थीया/अपीलार्थी श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री राधकिशन जी, जाति राजपूत, उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी 34 बी, शिव कॉलोनी, नृसिंहपुरा, ब्यावर हाल प्लॉट नं0 4, ग्राम नौसर अलखनन्दा कॉलोनी, रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 से हुआ है। प्रार्थीया/अपीलार्थी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत है और वर्तमान में शिक्षा विभाग से मिलने वाली पारिवारिक पेंशन पर आश्रित है तथा प्रार्थीयॉ/अपीलार्थी हाई ब्लडप्रेशर व अन्य बीमारियों से ग्रसित है, प्रार्थीया/अपीलार्थी ने अपनी संतानो को शिक्षा दीक्षा

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

व विवाह इत्यादि कर अपने सम्पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया । प्रार्थीया/अपीलार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से अपनी संतानो को समुचित शिक्षा व विवाह कर इस लायक बना दिया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही विवाह पश्चात आवासीय समस्या से गुजरना ना पडे इसलिए प्रार्थीयॉ/अपीलार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से एक सम्पत्ति खरीद की, जो कि उप पंजीयक महोदय अजमेर द्वितीय के यहॉ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 598 के पृष्ठ सं0 1 की कम संख्या 201903002104425 के अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द सं0 2389 के पृष्ठ सं0 1 से 11 पर दिनांक 14.06.2019 पर चस्पा है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति खरीद करने के पश्चात प्रार्थीयॉ/अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में अप्रार्थीगण को यथासंभव आश्रय स्थल दिया, ताकि अप्रार्थीगण को आवासीय समस्या से ना गुंजरना पड़े, उपरोक्त स्वअर्जित सम्पत्ति प्लॉट नं0 4, ग्राम नौसर, रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर में अप्रार्थीगण निवास कर रहे है। दिनांक 24.09.2022 को अप्रार्थीगण में आपस में झगडा हो गया, तब अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध पुलिस थाना किश्चयनगंज अजमेर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 को धारा 151 द.प्र.सं. में पुलिस थाना किश्चयनगंज, अजमेर द्वारा बन्द कर दिया गया, तदोपरान्त दूसरे दिन अप्रार्थी सं0 2 की न्यायालय से जमानत हुई, के उपरान्त प्रार्थीया/अपीलार्थी ने अप्रार्थीगण को आगाह किया कि उपरोक्त रहवासीय सम्पत्ति प्रार्थीया/अपीलार्थी की खरीदी हुई है, जिसे खाली कर दे, तुम लोग अपना रहने का इंतजाम कही ओर कर लो, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया/अपीलार्थी को धमकी दी कि मकान तो मेरे नाम ही होगा, बुढिया तेरे से जो हों सके वो कर ले और धमकी दी कि अबकी बार इस मकान पर आई तो जिन्दा नहीं जायेगी। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया/अपीलार्थी को येन–केन प्रकारेण मानसिक, शारिरिक व आर्थिक रूप से प्रताडित कर रहे है, अप्रार्थीगण ने निवास सम्पत्ति में अशान्ति माहौल बनाकर प्रार्थीया/अपीलार्थी का रहना दूभर कर दिया है जिसके कारण मजबूर होकर प्रार्थीया/अपीलार्थी को ब्यावर में अकेले निवास करना पड रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया/अपीलार्थी की सम्पत्ति हथियाने के लिए उसके साथ कोई भी अवांछनीय घटना कारित कर सकती है। श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया/अपीलार्थी व उसकी पुत्री के साथ किसी प्रकार की लडाई झगडा, गाली गलौच, मारपीट इत्यादि ना करे निवासी सम्पत्ति में शान्तिपूर्ण माहौल बनाये रखे। प्रार्थीयॉ/अपीलार्थी की सम्पत्ति के असल दस्तावेज प्रार्थीया/अपीलार्थी को दिलाये जाये, अप्रार्थीगण को प्रार्थी/अपीलार्थी की सम्पत्ति से निष्कासन के आदेश पारित करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि प्रार्थीया 34 बी शिव कॉलोनी नृसिहपुरा ब्यावर अजमेर में निवास कर रही है परन्तु जो हाल प्लॉट नम्बर 4, ग्राम नौसर अलखनदा कॉलोनी, रातीडांग तहसील व जिला अजमेर पर अपना पता दिया जाते हुए वर्तमान में उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करना बताया गया है जो गलत है। प्रार्थीया ने भावी असद्भाविकता के चलते अपने दो पते अंकित किया जाते हुए वर्तमान में उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करना बताया से प्रार्थीया क्या अंकित करना चाहती है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीया की पुत्री श्रीमती बबीता दोनो आपस में मिले होकर प्रार्थीया को घर से निकालना चाहते है। इसी कारण से प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ दुर्भि संधि करते हुए वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत अपील का प्रार्थीया कोई फायदा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावे।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा मुझे सम्पत्ति व घर से बेदखल कर दिया गया है। मैं काफी समय से अलग निवास कर रहा हूँ । मुझे अपील से कोई मतलब नहीं है।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 10.05.2023 पारित किया गया है, जो कि विधि संम्वत् एवं न्यायोचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.05.2023 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझती है। अतः अपील अपीलांन्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 यथावत किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर